पुलिस आदेश संख्या 267/99

अनुमण्डल एवं जिला स्तर के विभिन्न न्यायालयों में अनुसंधानकर्त्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये निम्नलिखित आदेश दिये जाते है :---

1. विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनुसंधानकर्त्ताओं की गवाही के लिये निर्गत सम्मन/वारंट आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय के हिन्दी शाखा में प्राप्त होगें।
2. हिन्दी शाखा में इन सम्मन/वारंट को एक पंजी में सूचीबद्ध किया जायगा।
3. हिन्दी शाखा में पूर्व एवं वर्त्तमान के अनुसंधानकर्त्ताओं की सूची अलग-अलग पंजियों में रखी जायगी जिसमें पूर्व के अनुसंधानकर्त्ताओं के अद्यतन पदस्थापना की विवरणी अंकित रहेगी। ऐसे पदाधिकारियों के सेवा-निवृत होने की स्थिति में उनके स्थायी रूप से रहने का पता अंकित रहेगा।
4. अनुसंधानकर्त्ताओं की संधारित सूची से ही उन्हें गवाही में उपस्थित होने की सूचना आरक्षी अधीक्षक द्वारा दी जायगी।
5. सम्मन/वारंट की सूची का संधारण एवं अनुसंधानकर्त्ताओं की सूची का संधारण एक अवर निरीक्षक द्वारा किया जायगा, जिनके सहायतार्थ दो साक्षर आरक्षी प्रतिनियुक्ति किये जायेगें।
6. अवर निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे रक्षित कार्यालय से सदैव सम्पर्क बनाये रखेगें और अनुसंधानकर्त्ताओं के वर्तमान पदस्थापन की स्थिति को अद्यतन बनाये रखेगें।
7. ये सारे कार्य आरक्षी अधीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) के पर्यवेक्षण में किये जायेगें जिनकी समीक्षा आरक्षी अधीक्षक द्वारा समय-समय पर की जायगी।
8. अनुसंधानकर्त्ताओं की स्थिति में परिवर्तन की त्रैमासिक सूचना पुलिस मुख्यालय को भी दी जायगी, ताकि पुलिस मुख्यालय में संधारित सूची को प्रत्येक तीन माह पर अद्यतन किया जा सके।

इस आदेश का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय। क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक एवं प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

(के0 ए0 जैकब) 25/10

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक

बिहार, पटना।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4697 / विधि कोषांग — दिनांक 25.10.99

LC-8-99

प्रतिलिपि :---

1. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक / आरक्षी महानिरीक्षक एस0सी0आर0बी0, बिहार, पटना
2. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक
3. सभी आरक्षी अधीक्षक

   को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. पी-1 प्रशाखा को आवश्यक क्रियार्थ।

(के0 ए0 जैकब), 25/10

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक

बिहार, पटना।